पत्रांक-6/उ4-08/2006 1559

झारखण्ड-सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

सचिव,
सी०बी०एस०ई०नई दिल्ली ।

राँची, दिनांक- 25.7.06

विषय:- झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विधालय को सी० बी०एस०ई०नई दिल्ली से संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित बाल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल, कदमा, जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अधोलिखित शर्त्तों एवं बन्धेजों के अधीन स्थायी रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है ।

विभागीय आदेश संख्या-1055 दिनांक-05.09.2001 के आलोक में निम्नलिखित शर्त्तों एवं बन्धेजों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

1. विधालय की वार्षिक बचत आय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विधालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विधालय के विकास में किया जाएगा । विधालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।

2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा ।

3. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायगा ।

4. विधालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी ~~xxxx~~ चाहिये ।

5. विधालय को शहरी क्षेत्र 2(दो) एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में चार एकड़ भूमि विधालय के नाम से संबंधित या कम से कम 30(तीस) वर्षों के

1559
25.7.06

क्र०पृ०उ०

निर्बाधित पट्टा/लीजपर होना चाहिए । यदि भविष्य में जाँचोपरान्त भिन्न स्थिति पायी जायगी तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र का अधिकार राज्य सरकार को सुरक्षित होगा ।

6. गरीबी रेखा से नीचे छात्र/ छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिए सुरक्षित होगा । साथ ही ~~xxxx~~ सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायगा ।

7. विधालय का कार्य कलाप राष्ट्रहित में होना चाहिए । विधार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार नैतिक तथा सरकार के सांस्कृतिक विकास हेतु साकारात्मक प्रदान करना होगा ।

8. विधालय के छात्रों की समुचित संख्या एंव उसके अनुपात में शिक्षक संख्या होनी चाहिए ।

9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया,कर्मियों की संख्या,योग्यता एंव नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी ।

10. विधालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित ~~xxxxx~~ शासी निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी ।

11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एकाटेशन प्रोग्राम तथा एन.सी.सी. स्काउट एंव गाईड आदि को सुचारु रूप से करना होगा ।

12. यदि जो संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो ~~xxx~~ विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक-5.9.2001 के अनुसार शर्त्तों का पालन करना होगा ।

13. उपर्युक्त शर्त्तों एंव बन्धेजो का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण -पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।

14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए विधालय द्वारा समर्पित कागजात एंव अभिलेख का जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विधालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटूता फैलती हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस ले सकती है ।

15. विधालय द्वारा उपर्युक्त शर्त्तों एंव बन्धेजों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं ? इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायगी तथा सरकार जब चाहे विधालय संस्था को वित्तीय एंव अकादमिक अनियमितताओं की जांच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कर स्थायी कर सकेगी ।

1559/25.7.'

कृ०पृ०उ०